न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व वाद संख्या : 45/2024* *अनवान पप्पाराम बनाम कालूराम वगैरह* ***अर्न्तगत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम***	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-8-2025	पत्रावली आज पेश हुई है। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। वाद के मुख्यतः तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश कर ग्राम एवं तहसील झंवर के खसरा संख्या 94 रकबा 2.5414 एवं 88 रकबा 1.1414 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के संयुक्त हिन्दू परिवार के संपति होने की घोषणा की जाने, खसरा नम्बर 88 की भूमि पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करने एवं उक्त भूमियों का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के विरूद्ध स्थाई व्यादेश जारी करने हेतु निवेदन किया है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जो कि बाद ताम्मिल शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता हरिसिंह कच्छवाहा व सचिन दवे ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पत्र पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में कथन किया है कि वादी ने अपने वाद में खसरा नम्बर 94 रकबा 2.5414 हैक्टेयर ग्राम झंवर की भूमि एवं खसरा नम्बर 88 रकबा 1.1412 हैक्टेयर ग्राम झंवर की भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने तथा वादी द्वारा उक्त वाद में अभिवचनों एवं अनुतोष में वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने की घोषणा चाही है तथा खसरा नम्बर 88 की भूमि पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज करने बाबत अनुतोष चाहा है जबकि उपरोक्त भूमि किसी भी रूप में संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति नहीं है और संपति होने की घोषणा किसी राजस्व न्यायालय में नहीं की जा सकती है। राजस्व न्यायालय तो किसी भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की अधिकारिता रखता है। वाद में मुख्य अनुतोष सम्पति की घोषणा सिर्फ सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत ऐसा कोई वाद का विचारण नहीं किया जा सकता जो विधि द्वारा बाधित हो। इस कारण वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज कियां जावें। वादी ने जरिये अधिवक्ता प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश किया गया। वादी ने अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

तथ्यों दोहराते हुए कथन किया कि वाद विधि अनुरूप होने एवं वाद मे वर्णित अनुतोष राजस्व न्यायालय के अधिकारिता का होने के कारण वादी का वाद बाबत् अधिकारों की घोषणा, जोत का विभाजन एवं स्थाई व्यादेश का स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित अभिकथन से प्रथम दृष्टया वादी ने वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने की घोषणा चाही है जिसमें साथ ही प्रतिवादी के नाम से दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या एक के नाम से दर्ज करने बाबत अनुतोष चाहा है। चुकिं राजस्व न्यायालय किसी कृषि भूमि में किसी पक्ष के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार रखता है परन्तु वादी के उपरोक्त वाद में वादग्रस्त भूमि को संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति होने की घोषणा चाही है जो कि राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नही है। इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। वाद अभी प्रांरभिक स्टेज पर है तथा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनों से वाद में वर्जित अनुतोष की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधि विरूद्व होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्त तमाम विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवम् वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा, जोत का विभाजन एवं स्थाई व्यादेश विचारण विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है। पक्षकारान् वाद खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी